


०५ ^{११}/_{२२} अभिभावक मण्डल से कार्य स्थगित किया दिनांकको ज्ञात हो

१५/१२ अज्ञेय कोडर

१५ ^{११}/_{२२} पञ्जावली पेश हुये वाडी एवं वाडी वस्तील कुटुम्बस्थित/पञ्जावली में बार-बार कावाज डिलवने के बावजूद मात्र ५-०० वकैतक वाडी एवं वाडी वस्तील में से कोई उपस्थित नही हुआ।

अतः प्रकरण अदालत एअरी एवं अदालत पैरवी में स्थगित किया गया है। पञ्जावली अदालत पैरवी में फौजदारी शुल्क होकर राशि ५०० से कम भी जाके बाद फौजदारी कार्रवाई होगी।


SAD